न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–85/1979

CIS NO.- 264-2019

इंद्रावती देवी.....वादिनी

बनाम

प्रह्लाद प्रसाद सिन्हा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

27.10.2021 उभय पक्ष की पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादी संख्या–1 प्रह्लाद प्रसाद द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 30.04.2008 पर आदेश हेतु नियत है।

प्रतिवादी संख्या–1 प्रह्लाद प्रसाद द्वारा दिनांक 30.04.2008 को एक आवेदन दाखिल किया गया है, जिस संबंध में वादिनी द्वारा दिनांक 13.05.2008 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी संख्या–1 का अपने आवेदन में कहना है कि उनके द्वारा निबंधन हेतु शुल्क अपने करपरदार नथुनी मियाँ को दिया गया तथा करपरदार नथुनी मियाँ द्वारा धोखाधड़ी करते हुए विक्रय विलेख में अपने रिश्तेदार अहमद हुसैन का नाम शामिल कर लिया गया। जब उनको इस तथ्य की जानकारी हुई तो उन्होंने अपने करपरदार नथुनी मियाँ को इसे सही करने के लिए कहा तथा एक स्वत्व वाद संख्या–101/1977 अवर न्यायाधीश के न्यायालय में दाखिल किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 16.02.1978 को डिक्री पारित किया गया, जिसके विरूद्ध कोई अपील नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या–2 अहमद हुसैन का नाम वादपत्र से विलोपित किया जाय।

इस संबंध में वादिनी का कहना है कि प्रतिवादी का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि में चलने योग्य नहीं है। यह कि प्रस्तुत वाद में वादिनी यह चयन करने में सक्षम है कि उसे न्यायालय से किसके विरूद्ध अनुतोष प्राप्त करना है। अन्य कोई व्यक्ति वादिनी को बाध्य नहीं कर सकता है। कोई पक्षकार न्यायालय से यह अनुतोष की माँग नहीं कर सकता है कि किसी प्रतिवादी का नाम वादपत्र से विलोपित किया जाय। यह कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में विंध्याचल राउत उर्फ किशुनदयाल राउत के नाम तैयार हुआ, लेकिन यह कहा गया है कि जगन्नाथ गिरी उक्त भूमि के खेवटदार थे और खतियानी रैयत केवल दिखावटी स्वामी थे, जिनको कोई अधिकार, स्वत्व प्राप्त नहीं था। यह कि किशुनदयाल राउत के मरने के बाद उनके लड़के रूप राउत द्वारा एक निबंधित दस्तावेज दिनांक 25.04.1939 को अनिरूद्ध गिरी पुत्र जगन्नाथ गिरी के पक्ष में निष्पादित किया गया। बाद में अनिरूद्ध गिरी द्वारा वादग्रस्त भूमि अन्य भूमि के साथ एक अनिबंधित पट्टा द्वारा जमादार राउत के साथ बंदोबस्त किया गया तथा जमादार राउत को अपने खेवट वाली जमीन का दखल कब्जा दे दिया। यह कि जमादार राउत अपनी पत्नी मु0 पतिया, व नाबालिग पुत्र जोखन राउत, जगेन्दर राउत व विंध्याचल राउत को छोड़कर मर गए। यह कि मु0 पतिया को जब पैसे की आवश्यकता हुई तो उन्होंने वादिनी को वादग्रस्त भूमि विक्रय कर दिया। तब से वादिनी का उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा चला आ रहा है। उक्त सभी तथ्यों को जानते हुए भी प्रतिवादी संख्या–1 ने धोखाधड़ी करने की नियत से सीताराम राउत को दिनांक 23.01.1967 को निबंधित विक्रय विलेख निष्पादित करा लिया तथा वादग्रस्त भूमि से वादिनी को बेदखल करने का प्रयास करने लगे। ऐसी स्थिति में वादिनी के लिए

आवश्यक हो गया कि दिनांक 23.01.1967 को निष्पादित विक्रय विलेख के सभी क्रेताओं के विरूद्ध विधिक रूप से अपने अधिकार, स्वत्व की घोषणा करा सके जिससे वादिनी का हित प्रभावित न हो। यह कि वादिनी को प्रतिवादी संख्या–2 व प्रतिवादी संख्या–1 के बीच किसी भी वाद की जानकारी नहीं है तथा उसकी कोई सूचना वादिनी को नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा दाखिल आवेदन खारिज होने योग्य है।

सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु निर्धारित है तथा प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा अपने आवेदन के माध्यम से प्रार्थना किया गया है कि स्वत्व वाद संख्या–101/1977 में पारित निर्णय व डिक्री के आलोक में प्रतिवादी संख्या–2 का नाम वादपत्र से कलमजद किया जाय। जबकि वादिनी का कहना है कि उसे उक्त स्वत्व वाद की जानकारी नहीं थी तथा वादिनी को पूर्ण स्वतंत्रता है कि इस वाद में कौन व्यक्ति आवश्यक पक्षकार है तथा किसके विरूद्ध उसे अनुतोषा प्राप्त करना है। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि दिनांक 23.01.1967 को प्रस्तुत वाद के दोनों प्रतिवादीगण के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है। प्रस्तुत वाद बहस हेतु निर्धारित है, ऐसी स्थिति में न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या–2 इस वाद के आवश्यक पक्षकार हैं, या नहीं इस बिंदु पर विचार निर्णय के समय किया जायेगा। तद्नुसार प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा दाखिल आवेदन निस्तारित किया जाता है। वास्ते अग्रिम कार्रवाई दिनांक 02.11.2021

अवर न्यायाधीश (प्रथम)